सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है ;

(ख) कल्याण मंत्रालय, इसके संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभागों को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथ किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण है ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किये 10 वर्ष हो चुके है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेंद्र कुमारी वाजपेयी) : (क) वर्ष 1987 के दौरान इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की अभी तक 11-2-1987 और 11-9-1987 को दो बैठकों का आयोजन किया गया है। कल्याण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के लिए केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के अध्यक्ष गैर-सरकारी पर्यवेक्षण है ।

(ख) कल्याण मंत्रालय के सामन्य अनुभाग ने 1-10-1987 से हिन्दी में काम करना शुरू कर दिया है।

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबन्धों का पूरी तरह से पालन किया जाता है और इस प्रकार कार्यान्वयन न करने के कारण देने का प्रश्न नहीं उठता ।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

724. **श्री जगदंबी प्रसाद यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप मे नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है ;

(ख) शहरी विकास मंत्रालय, उसके संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अनुभागों को छोडकर किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण है , और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निमन्तम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) चालू वर्ष के दौरान इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की केवल एक बैठक हुई है। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के अध्यक्ष जो इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य है, को इस मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में एक पर्यवेक्षण के रूप में सदैव आमंत्रित किया जाता है।

जहां तक इस मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों आदि का सम्बन्ध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) इस मंत्रालय में, हिन्दी अनुभाग के अलावा, अन्य कोई अनुभाग शत प्रतिशत कार्य हिन्दी में नहीं कर रहा है। अपितु कतिपय अनुभाग कुछ हद तक अपना कार्य हिन्दी में कर रहे हैं।

जहां तक इस मंत्रालय के सम्बद्ध है एवं अधीनस्थ कार्यालयों आदि का सम्बन्ध है, अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी दी जायेगी।

(ग) इस मंत्रालय मे और सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों आदि मे राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का कार्यान्वयन करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और जहा कहीं उनका उल्लंघन ध्यान में आता है, तो उपचारात्मक उपाय किए जाते है।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

725. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठके हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप म नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है ;

(ख) इस्पात और खान मंत्रालय, इसके संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयो में, हिन्दी अनुभागो को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण है जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) चालू वर्ष के दौरान इस्पात और खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की अब तक दो बैठकें हो चुकी है।

अब तक हिन्दी सलाहकार समिति के पांच माननीय गैर-सरकारी सदस्यों को इस मंत्रालय के दोनों विभागों तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कुछ उपक्रमों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया जा चुका है। दो और सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया जा रहा है।

(ख) अब तक किसी भी अनुभाग में शतप्रतिशत कार्य हिन्दी मे कर पाना सम्भव नही हो पाया है। तथापि इस्पात विभाग मे कुछ अनुभागों में हिन्दी के प्रयोग की दिशा मे सुधार हुआ है और स विभाग में विभिन्न अनुभागों में हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि करने के लिए प्रयास जारी हैं। इस्पात विभाग में कार्य की छः मदें विनिर्दिष्ट की गई है, जिनके सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में किया जा रहा है। खान विभाग के विभिन्न अनुभागों और इसके अधीनस्थ कार्यालयों/ हिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कई अनुभागों में हिन्दी का व्यापक रूप मे प्रयोग कया जाता है।

(ग) मंत्रालय के दोनो विभागों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबन्धो का लगभग पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और इसके अनुपालन मे सुधार लाने के लिए प्रयास जारी है। इस दिशा में मामूली सा उल्लंघन होने का एक कारण--सम्बन्धित सभी दस्तावेजो के अनुवाद-कार्य मे विलम्ब होना है।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

726 **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठके हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप मे नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है ;

(ख) संसदीय कार्य मंत्रालय, इसके संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभागों को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है। तथा यह किस-किस तारीख मे किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं